

कार्यालय नगर पालिका परिषद, मोदीनगर (गाजियाबाद)

पत्रांक: 674 / न0पा0परि0 / कर0वि0 / 2018

दिनांक: 14/11/2018

1. श्रीमति सरोज देवी पत्नी श्री रामलाल निवासी- ग्राम सीकरी खुर्द तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद।

नाम परिवर्तन नोटिस धारा 147(बी)

विषय:- नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 147(बी) के अंतर्गत के सम्बन्ध में

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि मौहल्ला पीर फतेह अली में भवन सं0 37 क0सं0 38 पर नगर पालिका परिषद के गृहकर अभिलेखों में श्रीमति सरोज देवी पत्नी श्री रामलाल के नाम दर्ज है। श्रीमति मुनेश पत्नी श्री मुकेश कुमार व श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री चन्द्रभान द्वारा उक्त भवन पर अपना नाम दर्ज कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। साक्ष्य के रूप में रजिस्टर्ड बैनामा आदि संलग्न किया गया है। श्रीमति मुनेश पत्नी श्री मुकेश कुमार व श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री चन्द्रभान के प्रार्थना पत्र दिनांक .21.082018 के साथ संलग्न अभिलेखों के आधार पर भवन सं0 37 क0सं0 38 मौहल्ला पीर फतेह अली पर पालिका गृहकर अभिलेखों में नामांतरण की प्रक्रिया प्रस्तावित की जाती है।

अतः उपरोक्त नामांतरण के सम्बन्ध में इस नोटिस की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर यदि आपको कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात आपकी किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा तथा एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए गृहकर अभिलेखों में नाम परिवर्तन कर दिया जायेगा।

अधिशाली अधिकारी

नगर पालिका परिषद मोदीनगर।

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमति मुनेश पत्नी श्री मुकेश कुमार व श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री चन्द्रभान नि0-म0न0 187, नन्दनगरी, मोदीनगर जिला गाजियाबाद।

2. श्री अंकित कुमार राजस्व निरीक्षक व श्री जोगेन्द्र कुमार सम्पत्ति लिपिक को इस निर्देश के साथ प्रेषित की प्रश्नगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट आख्या 01 सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करें अन्यथा यह समझा जायेगा कि उक्त सम्पत्ति पर कोई वाद-विवाद अथवा सरकारी सम्पत्ति नहीं है। भविष्य में कोई वाद विवाद/सरकारी सम्पत्ति पाये जाने पर समस्त आपकी जिम्मेदारी आपकी होगी।

3. श्री अंकित गोयल को इस आशय के साथ प्रेषित की नगर पालिका परिषद मोदीनगर की वेबसाईट www.nppmodinagar.com पर सूचना को अपलोड करें।

अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद मोदीनगर।